फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा Online No. 2023/41

प्रकरण संख्या 21 / 2023

उनवान

श्री अनिता जैन .... बनाम श्री जगदीश आदि
भीलवाड़ा .... सुवाणा

धारा 111-128 प्रा0पत्र / राजस्व वाद

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्त की तामिल में जारी हुए
1/2/23	बाद जॉच वाद/प्रार्थना पत्र/ईजराय/अपील पेश हुई, दर्ज रजिस्टर किया जावे। सूचना विपक्षीगणो को जरिये तलवाना के अनुसार जारी हो। पत्रावली दिनांक 13/3/23 ... को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा	
13/3/23	पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बार एसोसियेशन का कार्य स्थगन किया हुआ है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 27/3/23 को पेश हो। [signature] आज्ञा से रीडर	
27/3/23	पत्रावली पेश हुयी। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षीगण बावजूद समन तामील के अनुपस्थित। विपक्षीगण को बार-बार आवाज लगाई गई, इसके बावजूद भी उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस एक तरफा सुनी गयी। प्रकरण में [illegible] अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 LRAct का स्वीकार किया जाकर [illegible] निर्णय पृथक से लिखा जाकर बाद [illegible] [illegible] सुनाया [illegible] शामिल [illegible] [illegible] लिखित की। [signature] उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा [illegible] 2023	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–विनोद कुमार(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 21/2023

दायर दिनांक 01.02.2023

निर्णय दिनांक 27.03.2023

उनवान

1. अनिता जैन पत्नी गौतम जैन निवासी 407, मंगलम प्लाजा हरणी महादेव मार्ग भवानीनगर भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।
2. गोतम कुमार पुत्र प्रेमचन्द मेहता जाति जैन निवासी 2–एन–21 आर.सी.व्यास कालोनी भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।
3. श्रीमति रेशम देवी पत्नी शोभालाल जाट निवासी शिवनगर, माधोपुर सुवाणा भीलवाडा।

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. जगदीश पुत्र छग्गु जाट निवासी माधोपुर तहसील व जिला भीलवाडा।
2. भूरालाल पुत्र नारायण जाट निवासी मेन रोड हरणीकलां तहसील व जिला भीलवाडा।
3. भंवर पुत्र छग्गु जाट निवासी माधोपुर तहसील व जिला भीलवाडा।
4. मांगीलाल पुत्र गंगाराम जाट निवासी माधोपुर तहसील व जिला भीलवाडा।
5. रामेश्वर पुत्र छग्गु जाट निवासी माधोपुर तहसील व जिला भीलवाडा।
6. जेतू पत्नी रामचन्द्र जाट निवासी माधोपुर तहसील व जिला भीलवाडा।
7. मंजू पुत्री रामचन्द्र जाट निवासी माधोपुर तहसील व जिला भीलवाडा।
8. राधेश्याम पुत्र रामचन्द्र जाट निवासी माधोपुर तहसील व जिला भीलवाडा।
9. रामलाल पुत्र रामचन्द्र जाट निवासी माधोपुर तहसील व जिला भीलवाडा।
10. विमला पुत्री रामचन्द्र जाट निवासी माधोपुर तहसील व जिला भीलवाडा।
11. सुरज पुत्र रामचन्द्र जाट निवासी माधोपुर तहसील व जिला भीलवाडा।
12. सोहनी पत्नी रामचन्द्र जाट निवासी माधोपुर तहसील व जिला भीलवाडा।
13. रामेश्वर पुत्र नन्दा जाट निवासी माधोपुर तहसील व जिला भीलवाडा।
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

—— विपक्षीगण

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री भानु प्रकाश कोली
एक तरफा विपक्षीगण

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सालरिया प0ह0 मण्डपिया भू00अ0नि0क्षैत्र आटूण तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 175 की अभिलिखत आराजीयात आराजी संख्या 483/10, 8, 9 कुल किता 03 कुल रकबा 2.5036 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा–चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 27.03.2023 को अप्रार्थीगण के बावजूद सूचना के हाजिर नही आने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन् किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हें आराजियात जैर–बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काश्तकार होने से सीमांकन(पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार भीलवाडा को आदेश दिया जाता है कि मौजा सालरिया प0ह0 मण्डपिया भू0अ0नि0क्षैत्र आटूण तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 175 की अभिलिखत आराजीयात आराजी संख्या 483/10, 8, 9 कुल किता 03 कुल रकबा 2.5036 हैक्टेयर कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका व मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 27.03.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27.03.2023

(विनोद कुमार)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा